



Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 40-2022]

चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 04 अक्टूबर, 2022
(12 आश्विन, 1944 शक)

क्रमांक	विषय वस्तु	विधायी परिशिष्ट	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम		
	कुछ नहीं		
भाग II	अध्यादेश		
	कुछ नहीं		
भाग III	प्रत्यायोजित विधान		
	1. अधिसूचना संख्या सांका०नि० 143/संवि०/अनु० 309/2022, दिनांक 28 सितम्बर, 2022 — पंजाब जेल विभाग लिपिकीय तथा तकनीकी (राज्य सेवा वर्ग ग) हरियाणा संशोधन नियम, 2022.		759-760
भाग IV	शुद्धि-पर्यी, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन		
	कुछ नहीं।		

भाग-III

हरियाणा सरकार

जेल विभाग

अधिसूचना

दिनांक 28 सितम्बर, 2022

संख्या सांका०नि० 143/संवि०/अनु० 309/2022.— भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पंजाब जेल विभाग लिपिकीय तथा तकनीकी (राज्य सेवा वर्ग ग) नियम, 1962, हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. ये नियम पंजाब जेल विभाग लिपिकीय तथा तकनीकी (राज्य सेवा वर्ग ग) हरियाणा संशोधन नियम, 2022, कहे जा सकते हैं।
2. पंजाब जेल विभाग लिपिकीय तथा तकनीकी (राज्य सेवा वर्ग ग) नियम, 1962 में, नियम 6 में, "सत्रह" शब्द के स्थान पर, "अठारह" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

टी० वी० एस० एन० प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
जेल विभाग।

HARYANA GOVERNMENT**JAIL DEPARTMENT****Notification**

The 28th September, 2022

No. G.S.R. 143/Const./Art. 309/2022.— In exercise of the powers conferred under the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana, hereby makes the following rules further to amend the Punjab Jail Department Clerical and Technical (State Service Group C) Rules, 1962, in their application to the State of Haryana namely:-

1. These rules may be called the Punjab Jail Department Clerical and Technical (State Service Group C) Haryana Amendment Rules, 2022
2. In the Punjab Jail Department Clerical and Technical (State Service Group C) Rules, 1962, in rule 6, for the word "seventeen", the word "eighteen" shall be substituted.

T. V. S. N. PRASAD,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Jail Department.